डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

क्रमांक CEO/50/16
दिनांक 08/3/16

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक,
सम्बन्धित महाविद्यालय/केन्द्र,

विषय— 11 मार्च 2016 से प्रारम्भ होने वाली वार्षिक परीक्षा वर्ष 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार मुझे आपको अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षायें दिनांक 11 मार्च 2016 से आगरा/अलीगढ़ मण्डलों के विभिन्न जिलों में स्थित सम्बद्ध महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भ होने जा रही है। ये परीक्षायें क्रमशः पूर्वान्ह 7.00 बजे से 10.00 बजे/11.00 बजे से 2.00 बजे तथा 3.00 बजे से सॉय 6.00 बजे तक तीन पालियों में मई 2016 के द्वितीय सप्ताह तक सम्पन्न होगी। इन परीक्षाओं को शान्त वातावरण में सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये आपके सहयोग की प्रत्याशा में उक्त परीक्षा में संचालन के लिए केन्द्र वार रोल लिस्ट सहित अन्य परीक्षा सामग्री जिनके लिये सामग्री के साथ चेक लिस्ट भी लगाई गई है जो सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों की लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप परीक्षा केन्द्र में उक्त सूची के अनुसार ही छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित करायें।

यदि किसी छात्र/छात्रा के पास प्रवेश पत्र किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तथा रोल लिस्ट में भी उसका नाम अंकित नहीं है परन्तु छात्र यह दावा करता है कि उसके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा किया हुआ है उसकी पुष्टि करते हुये उस छात्र/छात्रा से अण्डरटेकिंग लेकर औपबन्धिक रूप से (प्रोविजनल) केवल एक दिन की परीक्षा में शामिल करायें। उसकी सूचना उप कुलसचिव गोपनीय डॉ0 हरिश्चन्द्रा को उपलब्ध करा दें तथा छात्र को अगली परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र फोटो सहित लाने हेतु निर्देशित कर दिया जाय। किसी भी दशा में बिना फोटो प्रवेश पत्र के परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाये यह भी सुनिश्चित कर ले कि स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में सम्मिलित होने वाले छात्रों के प्रवेश पत्र पर इस विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण, नामांकन संख्या विश्वविद्यालय द्वारा चैक लिस्ट पर जारी कर दी गई है साथ ही स्नातक द्वितीय/तृतीय एवं परास्नातक प्रथम/द्वितीय के प्रवेश पत्र पर नामांकन संख्या हो तभी परीक्षा में सम्मिलित किया जाये। यदि पंजीकरण नामांकन सख्या उपलब्ध नहीं है तो ऐसे समस्त महाविद्यालय अपने महाविद्यालय के परीक्षार्थियों का नामांकन हर स्थिति में विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लें, उन्हें नामांकन के आधार पर ही अपने केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित कराये। यदि किसी महाविद्यालय का परीक्षार्थी बिना नामांकन के परीक्षा में सम्मिलित होने का संज्ञान में आता है तो ऐसे परीक्षार्थी का उत्तरदायित्व स्वंय महाविद्यालय का होगा।

उक्त के अतिरिक्त समस्त परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/प्राचार्या को निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते हैं कि वह इन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराये;—

upload करें 9/3/2016

1. सभी महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध है कि अपने जिले के नोडल केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या के सम्पर्क में रहे तथा अपने केन्द्र का दूरभाष आदि जानकारी से नोडल केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या को अवगत करादें।
2. सभी परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध है कि वह अपने केन्द्र पर परीक्षायें शान्ति एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रत्येक कक्ष में पंखे, जल, विश्वविद्यालय के नियमानुसार सीटिंग प्लान आदि की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित कराले।
3. सभी परीक्षा केन्द्रों के पाचार्य/प्राचार्या से अनुरोध है कि वह अपने केन्द्र पर समय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र पर फैक्स मशीन/फोटोस्टेट मशीन, दूरभाष सुविधा सुचारू रूप से सुनिश्चित करा लिया जाय।
4. गोपनीय परीक्षा सामग्री के पैकटों की सील केन्द्राध्यक्ष तथा दो कक्ष निरीक्षकों के समक्ष खोली जायेगी तथा ये सभी सील के खोले जाने के पूर्व सील भली प्रकार पाये जाने के पैकेट के ऊपर हस्ताक्षर अवश्य करेंगे।
5. सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके केन्द्र पर परीक्षा के दिन जनरेटर की व्यवस्था की गयी है।
6. सभी परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/प्राचार्या के पूर्व अपने जनपद के पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर उन्हें समस्त तथ्यों से अवगत कराने का कष्ट करें तथा अपने केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या से प्रतिदिन अवगत कराते रहे तथा सम्बन्धित सूचना अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी समय–समय पर उपलब्ध कराते रहे।
7. सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी असामाजिक तत्व अथवा अवांछनीय या संदेहास्पद व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर या परीक्षा केन्द्र के बाहर उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय थाना प्रभारी की सहायता से केन्द्र पर समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
8. केन्द्राध्यक्ष परीक्षार्थियों की आसन व्यवस्था अनुक्रमांकों के अनुसार करेंगे। किन्हीं दो परीक्षार्थियों के मध्य सभी तरफ न्यूनतम 1.5 मीटर की दूरी रखी जाये। आसन व्यवस्था की सूचना, सूचना पटों पर प्रदर्शन किया जायेगा। परीक्षा कक्ष की आसन व्यवस्था का चार्ट कक्ष के बाहर चस्पा किया जाये।
9. समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगणों से अनुरोध करना है कि वह समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रजात एवं निर्देशों आदि को समय–समय पर कालेज लॉगिन एवं इन्टरनेट खोल कर अवश्य देखते रहे।
10. समस्त केन्द्राध्यक्ष से अनुरोध है कि जिन–जिन विषयों की परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट पर सम्पन्न होगी उन परीक्षार्थियों की ओ0एम0आर0 शीट को सावधानी पूर्वक 100–100 के बण्डल बनाकर ऊपर व नीचे मोटा गत्ता लगाकर सील करके उपलब्ध कराया जाये एवं ओ.एम.आर. शीट को उत्तर पुस्तिकाओं से अलग रखा जाय।
11. परीक्षाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी लेने हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कक्ष के निम्नलिखित दूरभाष से सम्पर्क कर सकेंगे:––
    1. परीक्षा नियंत्रक – 9415234448, 9927927551
    2. परीक्षा नियंत्रक कक्ष– 0562–6544827 फैक्स नं0 2521001
    3. डॉ0 हरिश चन्द्रा, उप कुलसचिव – 9412010835
    4. श्री रामवृत राम – 9450529438
    5. श्री राजेश चौपड़ा – 9412271054
    6. श्री प्रमोद अग्रवाल – 9412415500
    7. श्री प्रवीन अग्रवाल – 9411626903
    8. श्री अखिलेश अग्रवाल – 9897646623
    9. श्री ललित कुमार शर्मा – 9897740865

12. सभी परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/प्राचार्यों से अनुरोध है कि वह अपने–अपने महाविद्यालय में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की विषयवार संख्या से परीक्षा तिथि वार अपने जिले के नोडल केन्द्र के प्राचार्य को अवगत करादें जिससे उन्हें यह संज्ञान रह सके कि आपके केन्द्र पर कितनी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं।
13. अनुपस्थित छात्र एवं नकल में पंजीकृत परीक्षार्थियों की सूची उत्तर पुस्तिका के बंडल में रखे जाने के अतिरिक्त एक प्रति अलग से सील्ड लिफाफे में रखकर गोपनीय विभाग के अधीक्षक को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संकाय के अलग–अलग अनुपस्थित एवं यू.एफ. एम. का रजिस्टर)अनुपस्थित एवं यू.एफ.एम. रजिस्टर) बनाये जाये, इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन का स्टेटस विश्वविद्यालय की ई–मेल आई.डी. dbrauaaems.contact@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये;—

क्र.सं.	कक्षा	विषय केच सं0	किस पाली की परीक्षा है	पंजीकृत छात्रों की संख्या	उपस्थित छात्रों की संख्या	अनुपस्थित तथा उनके अनुक्रमांक	यू.एफ.एम. में पंजीकृत छात्रों के अनुक्रमांक
1							
2							

उक्त रजिस्टर जिस संकाय की परीक्षा समाप्त होने पर विश्वविद्यालय को तत्काल मूल रूप से कुलसचिव को प्राप्त कराकर रसीद प्राप्त कर लें। इस रजिस्टर की एक छाया प्रति प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष अपने पास अपने अभिरक्षण में अवश्य रखें।

14 गत वर्षो की भाँति विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में केवल एक ही उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा। स्नातक स्तर पर 36 पेज, परास्नातक स्तर पर 40 पेज तथा प्रैक्टिकल हेतु 12 पेज की उत्तर पुस्तिका प्रयोग में लायी जायेगी। उत्तर पुस्तिका (वी) का प्रावधान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
15. सभी महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध करना है कि लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को सील करते समय यह ध्यान रखते हुये बंडल पैकिंग कराई जाये;—
    1. संस्थागत छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को सफेद रंग के कपड़े में सील किया जाये।
    2. बी0एस0सी0 की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को रहे रंग के रिबन से।
    3. बी.कॉम. की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को लाल रंग के रिबन से।
    4. बी.ए. की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को पीले रंग के रिबन से।
    5. बी0एस0सी0 कृषि की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को काले रंग के रिबन से बांधा जाना अनिवार्य है (यह व्यवस्था सिर्फ संस्थागत छात्रों के लिए ही की जायेगी)।
    6. व्यक्तिगत छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की पीले रंग के कपड़े में सील किया जाये।
    7. पुनः परीक्षा के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को गुलावी रंग के कपड़े में सील किया जाये
16. प्रत्येक दिन की लिखित उत्तर पुस्तिकायें नोडल केन्द्र की लौटती टैक्सी के साथ नोडल केन्द्र पर भेजने हेतु सुनिश्चित किया जाये।
17. परीक्षा के संचालन के लिए केन्द्र अधीक्षकों को मजिस्ट्रेट की पावर हेतु गृह सचिव को एक पत्र लिखा गया है जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया इस में अपने स्तर से भी समुचित प्रयास करले। इसी प्रकार आप अपने परीक्षा केन्द्र पर शान्ति व्यवस्था बनाने हेतु आपके जिले के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखा गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

18. इस परीक्षा में आपके केन्द्र पर केवल वही परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे जिनको केन्द्र आवंटित है और जिनका रोल लिस्ट में नाम है। आप किसी भी दशा में ऐसे परीक्षार्थियों को अनुमति न दे जो दूसरे परीक्षा केन्द्र के हो।
19. कालेज प्राचार्यो/केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी दशा में अपने स्तर से किसी भी छात्र/छात्राओं को अनुक्रमांक आवंटन न किया जाये साथ ही किसी भी छात्र/छात्राओं को नामांकन से या नाम से परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाये।
20. प्राचार्य/प्राचार्यों को यह दिशा–निर्देश दिये जाते हैं कि वह लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल अधिकतम 200 उत्तर पुस्तिकाओं का ही बनाये।
21. बण्डल के साथ क्रम सं0 6 रखने के साथ सम्पूर्ण परीक्षा समाप्ति पर एक फाइल अनुपस्थित कक्षावार तथा दिन व दिनांक के साथ प्रेषित कराई जाये। साथ में अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिका सीधे गोपनीय विभाग में यू.एफ.एम. के पटल प्रभारी को प्राप्त करायी जाये, इसके साथ एक सूची उपर्युक्तानुसार प्रेषित की जाये जिससे परीक्षा परिणाम में सरलता होगी।
22. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पुनःपरीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें अलग तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें अलग से एवं संस्थागत तथा भूतपूर्व छात्रों की उत्तर पुस्तिकायें एक साथ भेजी जाये।
23. किसी भी दशा में बिना फोटो प्रवेश पत्र के छात्र को परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाये।

अतः आपके द्वारा गत वर्ष दिये गये सहयोग की प्रत्याशा में अपेक्षा करूगा कि आप वर्ष 2016 की परीक्षाओं को निर्विवाद एवं शान्तिमय सम्पन्न करायेंगे।

सधन्यवाद !

भवदीय,

(के0एन सिंह)
परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;—

1. सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सादर प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव महामहिम, कुलाधिपति, राजभवन लखनऊ को सादर प्रेषित।
3. समस्त नोडल केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्यों को उपर्युकतानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षक कुलसचिव कार्यालय, कुलसचिव जी के सूचनार्थ सादर प्रेषित।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।
7. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी।
8. समस्त खण्ड प्रभारी परीक्षा/गोपनीय।
9. समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
10- प्रभारी - वि०वि० वेबसाइट - आवश्यक कार्य हेतु।

(के0एन सिंह)
परीक्षा नियन्त्रक

10/3/16